

मालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

भागीरथ वर्मा बनाम सुरेश कुमार उर्फ सुरजाम्भु कुंठो
 मुकदमा नं. 18 सन् 2018

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	<p>10/01/18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण श्री हरिहरम सिंह यादव ने प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र सं. 19 की तलबी जरूर नोटिस की जाय, तथा अग्रणी सं. 20 से निधारित दिनों में 4 रिपोर्ट की जाय। पत्रावली दिनांक 23.04.2018 को पेश हो।</p> <p>19 वकील प्रार्थीगण प्रार्थना पत्रावली तारीख पेश है जिसमें आग्र पेश हुई। प्रार्थीगण का अपमान किता जाय। साक्षि आदेश की प्रामाणा आदिनांक नष्ट हुई। अतः साक्षि आदेश की प्रामाणा की जाय। पत्रावली आदिनांक 26.08.19 को पेश हो।</p>	
8/19	<p>पत्रावली पेश हुई। कहुलाय सप. / अनुपस्थित अधिकारी वीरे पत्रावली में व्यस्त। पत्रावली आदिनांक आईन्दा दिनांक 25/10/19 को पेश हो।</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

24/10/19

पञ्जावली पेडा हुके परीक्षा परिणाम सम्बन्धी
पञ्जावली वाले अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक
24/10/19 को पेडा है।

8-11-19

पञ्जावली पेडा में ली गयी। प्राथमिकता के आधीनता
कारा पूर्व में मोटेल तामील के आधीनता पर रास्ता
स्वीकृत करने का अनुरोध किया।
प्राथमिकता के connect पर गौर किया गया।
प्राथमिकता के अपनी रव नं. 224 में स्थित हुके परीक्षा
में लाने हेतु रव नं. 214, 215 व 226 में ही लोकर
रास्ता चाला गया है।
प्राथमिकता कारा चाला गया अत रास्ता किली स्वीकृत
सुदा मार्ग से connect नहीं होता है।
कारण: प्राथमिकता का वाद RTA 25(A) के तहत
पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर
स्वीकृत किया जाता है।
निर्णय आज दि. 8-11-19 को खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

(Signature)
8-11-19
(राजेश्वर सिंह)